



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274812
CG-DL-E-25072026-274812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3863]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3863]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4033(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 333 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
333	717ए	पश्चिम बंगाल राज्य में बागरकोट के निकट नए एनएच-17 के अपने जंक्शन से शुरू होकर रेनॉक, पाकयोंग को जोड़ने वाला और सिक्किम राज्य में गंगटोक के निकट नए एनएच-10 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग जिसमें रोरथांग के पास अपने जंक्शन से शुरू होने वाले स्पर और सिक्किम राज्य में रंगपो के निकट एनएच-10 के साथ अपने जंक्शन पर समापन शामिल है।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2026 -पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण:- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 3678(अ), दिनांक, 07 जुलाई, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4033(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 333 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
333	717A	The highway starting from its junction of new NH-17 near Bagrakot in the State of West Bengal connecting Rhenok, Pakyong and terminating at its junction with new NH- 10 near Gangtok in the state of Sikkim. Including the spur starting from its junction near Rorathang and terminating at its junction with NH-10 near Rangpo in the State of Sikkim.

[F. No. NH-14012/11/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 3678(E) dated 07th July, 2026.